# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम सचिव,सूर्योदय शिक्षण संस्थान अड़कसर

**प्रा.पत्र नम्बर 120/2022** **GCMS No.2022/244**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.10.2022 | अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर चौधरी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 984/976 रकबा 0.9708 हैक्टर भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज चली आर रही है जिसमे से 0.20 हैक्टर को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत 05.07.2022 को दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व दिनॉक 05.07.2022 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि को अप्रार्थी **राज. भू– राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007** के तहत आवेदन संख्या LC/2022-23/132367 Date 30-08.2022 को उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के कार्यालय में ऑन लाईन आवेदन किया गया है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।<br>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन आवेदन संख्या LC/2022-23/132367 Date 30-08.2022 जमा पत्रावली **राज. भू– राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007** के तहत विचाराधीन है, इस न्यायालय द्वारा स्थगन होने से रूपान्तरण की कार्यवाही आगे नही हो पा रही है। प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया मामला सुवधि का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 05.07.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी ( नागौर )<br><br>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) | |